अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

08
20.12.2023

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 124 / 2023

राज्य

बनाम

विजय सिंह उर्फ गेंदा सिंह, पिता स्व०–कालीचरण सिंह, निवासी गुन्दु, दसमाईल, थाना खरसीदाग ओ०पी०, जिला रॉची (झारखण्ड)

..... विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1325 / डी०सी०बी० दिनांक 09.10.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी विजय सिंह उर्फ गेंदा सिंह, पिता स्व०–कालीचरण सिंह, निवासी गुन्दु, दसमाईल, थाना खरसीदाग ओ०पी०, जिला रॉची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जो निम्नांकित है:–

1. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं0– 284 / 12 दिनांक 04.12.2012 धारा–302 / 34 भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधि०
2. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं0– 34 / 13 दिनांक 02.03.2013 धारा–224 / 225 / 120 (बी) भा०द०वि०
3. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं0– 124 / 14 दिनांक 19.06.2014 धारा–302 / 34 / 120 (बी) भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधि०
4. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं0– 182 / 14 दिनांक 02.09.2014 धारा– 147 / 148 / 323 / 379 / 387 / 504 / 506 भा0द0वि0
5. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं0–243 / 15 दिनांक 12.09.2015 धारा–302 / 385 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधि०

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

6. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं0– 125/16 दिनांक 06.05.2016 धारा–25 (1–बी०) ए०/26 शस्त्र अधि० एवं 3/4/5 वि0पदा०अधि०
7. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं0– 66/17 दिनांक 18.03.2017 धारा–387 भा०द०वि०
8. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं0– 177/17 दिनांक 24.07.2017 धारा 302/120 (बी०)/394 भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधि०
9. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं0– 241/18 दिनांक 15.10.2018 धारा– 386/353/307/414/34 भा0द0वि0, 27 शस्त्र अधि० एवं 17 सी०एल०ए०एक्ट
10. धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं0– 55/21 दिनांक 15.03.2021 धारा–386/387/120 (बी०) भा०द०वि०
11. सुखदेवनगर थाना काण्ड सं0–314/17 दिनांक 03.07.2017 धारा–386/34 भा०द०वि०
12. अरगोड़ा थाना काण्ड सं0–331/18 दिनांक 21. 10.2018 धारा–385 भा०द०वि०
13. तुपुदाना ओ०पी० सनहा सं0–20/23 दिनांक–29.06.2023
14. तुपुदाना ओ०पी० सनहा सं0–16/23 दिनांक–04.07.2023
15. तुपुदाना ओ०पी० सनहा सं0–21/23 दिनांक–06.07.2023
16. तुपुदाना ओ०पी० सनहा सं0–20/23 दिनांक–17.09.2023
17. तुपुदाना ओ०पी० सनहा सं0–11/23 दिनांक–18.07.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक हटिया, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक–2226/उपा०, दिनाक 23.09.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि विजय सिंह उर्फ गेंदा सिंह, पिता स्व०–कालीचरण सिंह, सा०–गुन्दु दसमाईल, थाना–खरसीदाग ओ०पी०, जिला–रांची एक असामाजिक तत्व के व्यक्ति है। इनका मुख्य पेशा हत्या, मारपीट करना, अवैध आग्नेयास्त्र रखना, अपहरण करना, धमकी देना, जेल से रंगदारी की मांग करना है। अपराध का अंजाम देने के क्रम में किसी के द्वारा अगर विरोध किया जाता है तो उसके साथ अपराधिक घटना को अंजाम देने में जरा सा

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

भी हिचकिचाते नहीं है। इनके भय से आम जनता में क्षोभ व्याप्त है। तुपुदाना, धुर्वा, जगनाथपुर, अरगोड़ा, सुखदेवनगर थाना क्षेत्र की जनता इनके भय से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है तथा इनके विरूद्ध इनके भय से आज जनता मुँह खोलने का साहस नहीं कर पा रही है। जेल से बाहर आने के बाद से स्थानीय व्यवसासियों जमीन कारोबारियों में भय का माहौल बना हुआ है, चूंकि गेंदा सिंह के भाई भी अपराधी प्रवृति के है और वे सभी भी अपराधिक काण्डों में जेल जा चुके है। इसके क्रिया कलापों से संबंधित कई काण्ड एवं प्रविष्टि इनके विरूद्ध दर्ज है जिससे इनके अपराधिक मनोवृति का होना प्रमाणित होता है। ऐसे व्यक्ति से व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार –विपक्षी के खिलाफ लगाये गये सारे आरोप तथ्यहीन है। उनके खिलाफ दायर सनहा का कोई जाँच नहीं की गई है वह एकदम आधारहीन है और न ही कोई उसका प्रमाण एवं साक्ष्य है थाना प्रभारी एवं उपाधीक्षक हटिया बिना किसी तथ्य के झारखण्ड नियंत्रण अधिनियम, 2002 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कारवाई करने का प्रस्ताव भेजा है। विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में 12 मुकदमों का जिक्र किया गया है, परन्तु वर्तमान में विपक्षी के विरुद्ध मात्र तीन मुकदमे लंबित हैं, शेष वाद मे विपक्षी को माननीय न्यायालय के द्वारा रिहा कर दिया गया है। विपक्षी के विरुद्ध तुपुदाना ओ० पी० मे 6 सनहा दर्ज होने का जिक्र किया गया है। विपक्षी के विरुद्ध दिए गए तथ्य, पूरी तरह से गलत एवं भ्रामक है। विपक्षी 8 मई 2016 से न्यायालय के आदेश से न्यायिक हिरासत (कारागार) में थे। न्यायालय के आदेश से ही 18 सितंबर 2023 को वे कारागार से बाहर आएं है। विपक्षी के विरुद्ध जिस समय सनहा दर्ज किये गये है उस समय वे न्यायिक हिरासत में थे एवं कारागार में बंद थे। विपक्षी के खिलाफ सन्हा किसी भी व्यक्ति

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

के द्वारा दर्ज नही किया गया है बल्कि सारे सनहा स्थानीय थाने के द्वारा स्वयं दर्ज किये गये है तथा पूरी तरह से फर्जी एवं मनगढंत है।

थाने में हाजिरी देने के समय विपक्षी के जान को खतरा हो सकता है। विपक्षी किसी भी प्रकार की अपराधिक कार्य में लिप्त नहीं है और वे एक अपने बुजुर्ग माँ और अपने दो छोटे– छोटे बच्चों एवं पत्नी के साथ शान्तिपूर्वक जीवन व्यतित कर रहें है। उनके किसी भी आचरण से, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में आम जन में भय व्याप्त नहीं है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक एक असामाजिक तत्व के व्यक्ति है तथा इनका मुख्य पेशा हत्या, मारपीट करना, अवैध आग्नेयास्त्र रखना, अपहरण करना, धमकी देना, जेल से रंगदारी की मांग करना है। इनके आचरण से समाज में अशांति एवं आम जनता के बीच भय, आंतक एवं दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव मे कोई ठोस आधार या सबूत पेश नही किया गया है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी विजय सिंह उर्फ गेंदा सिंह, पिता स्व०–कालीचरण सिंह, निवासी गुन्दु, दसमाईल, थाना खरसीदाग ओ०पी०, जिला राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी विजय सिंह उर्फ गेंदा सिंह, पिता स्व०–कालीचरण सिंह, निवासी गुन्दु, दसमाईल, थाना खरसीदाग ओ०पी०, जिला राँची को दिनांक 27.12.2023 से दिनांक 26.03.2024 तक की अवधि के लिए तुपुदाना ओ० पी० थाना, राँची में प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

5

2002 (अंगीकृत) की धारा–7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, तुपुदाना ओ० पी० थाना के समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 26.12.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 27.12.2023 से दिनांक 26.03.2024 तक प्रत्येक दिन तुपुदाना ओ० पी० थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी विजय सिंह उर्फ गेंदा सिंह, पिता स्व०–कालीचरण सिंह, निवासी गुन्दु, दसमाईल, थाना खरसीदाग ओ०पी०, जिला राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति विजय सिंह उर्फ गेंदा सिंह, पिता स्व०–कालीचरण सिंह, निवासी गुन्दु, दसमाईल, थाना खरसीदाग ओ०पी०, जिला राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:12:46 -08:00
Location: 192.168.1.4